भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम
की लेखापरीक्षा करने के लिए लेखा
परीक्षकों का पैनल बनाने के लिए
रुचि की अभिव्यक्ति का निमंत्रण

06.04.2022

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
महानगर दूरसंचार भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, (ओल्ड मिंटो रोड),
नई दिल्ली - 110 002

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	खंड	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	खंड-I	डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम की लेखापरीक्षा करने के लिए लेखा परीक्षकों के पैनल के लिए प्रस्ताव आमंत्रण की सूचना	3
2.	खंड-II	भावी लेखापरीक्षा एजेंसियों को निर्देश	6
3.	खंड-III	डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली की लेखा परीक्षा करने के लिए लेखा परीक्षकों का पैनल बनाने के लिए संदर्भित शर्तें (टीओआर)	8
4.	परिशिष्ट-I	आवेदन पत्र जमा करने के लिए प्रारूप	15
5.	परिशिष्ट-II	सीए/सीएस/लागत लेखाकार पेशेवरों/स्नातक अभियंताओं की सूची	21
6.	परिशिष्ट-III	शपथपत्र - खंड वार अनुपालन	22
7.	परिशिष्ट-IV	शपथपत्र – स्वतंत्रता	23
8.	परिशिष्ट-V	शपथपत्र – प्रतिबंधित सूची	24
9.	परिशिष्ट-VI	शपथपत्र – अच्छा ज्ञान	25
10.	परिशिष्ट-VII	अखिल भारतीय पैनल के लिए या एक से अधिक क्षेत्रों/स्थानीय (विशेष) क्षेत्रों में पैनल में शामिल करने के लिए मूल्यांकन मानदंड	26
11.	परिशिष्ट-VII-क	क्षेत्रीय स्तर पर पैनल में शामिल होने के लिए मूल्यांकन मानदंड	28
12.	परिशिष्ट-VII- ख	स्थानीय स्तर पर पैनल में शामिल होने के लिए मूल्यांकन मानदंड	30
13.	परिशिष्ट-VIII	भादूविप्रा कार्यालय का विवरण जहां प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता है	32

खंड-I

<u>डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम की लेखापरीक्षा करने के लिए लेखा परीक्षकों के पैनल के लिए प्रस्ताव आमंत्रण की सूचना</u>

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जो यहाँ "भादूविप्रा" या "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित है), महानगर दूर संचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (ओल्ड मिंटो रोड), नई दिल्ली - 110002, पात्र कंपनियों / सीमित देयता भागीदारों (एलएलपी)/साझेदारी फर्म/स्वामित्व फार्मों, जो भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) में लेखा परीक्षा फर्म के रूप में के साथ पंजीकृत हैं, (जिसे यहाँ पर "लेखा परीक्षा एजेंसी" या "आवेदक" के रूप में संदर्भित किया गया है) से डिजिटल एड्रेसिबल सिस्टम के लिए विनियामक रूपरेखा के अनुसार डिजिटल एड्रेसिबल सिस्टम का ओडिट करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है, जिसमें दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 (जिसे यहाँ पर "इंटरकनेक्शन विनियम, 2017" के रूप में संदर्भित किया गया है), दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा गुणवत्ता मानदंड और ग्राहक सुरक्षा (एड्रेसिबल सिस्टम) विनियम, 2017 (जिसे यहाँ "क्यूओएस" के रूप में संदर्भित किया गया है) और बाद में किए गया संशोधनों सहित दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम्स) टैरिफ आदेश, 2017 दिनांकित 03 मार्च 2017, (जिसे यहाँ पर "टैरिफ आदेश, 2017" के रूप में संदर्भित किया गया है) शामिल हैं।

2. पैनल निम्नलिखित में से किसी एक आधार पर होगा:-

(क) अखिल भारतीय रूप से सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और क्षेत्रों को शामिल करने वाला

(ख) क्षेत्र (नीचे परिभाषित क्षेत्रों शामिल होंगे): -

(i) उत्तरी क्षेत्र (दिल्ली (जिसमें दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव शामिल हैं), हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख)

(ii) मध्य क्षेत्र (जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश (गाजियाबाद और नोएडा को छोड़कर) और उत्तराखंड शामिल हैं)

(iii) पश्चिम क्षेत्र (हरियाणा (फरीदाबाद और गुड़गांव टेलीफोन एक्सचेंज द्वारा सेवा प्रदत स्थानीय क्षेत्रों को छोड़कर), पंजाब, राजस्थान, गुजरात, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप)

(iv) पूर्वी क्षेत्र (जिसमें पश्चिम बंगाल, कोलकाता, बिहार, झारखंड, उत्तर-पूर्व (अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा), असम, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं)

(v) दक्षिण क्षेत्र (जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, चेन्नई, ओडिशा और पुडुचेरी शामिल हैं)

(vi) दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र (जिसमें कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, गोवा, मुंबई शामिल हैं)

नोट: एक आवेदक एक या अधिक राज्यों/संघीय राज्य क्षेत्रों में काम करने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि, इस मामले में आवेदक को अलग-अलग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जोन, जैसा भी मामला हो, के लिए परिभाषित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।

(ग) विशेष क्षेत्र (राज्य/संघीय राज्य क्षेत्र) :-

(i) एनईआर या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों को मिलाकर),
नोट: एक आवेदक एक विशेष क्षेत्र में एक या एक से अधिक राज्यों में काम करने के लिए स्वतंत्र है।

(ii) जम्मू और कश्मीर (जिसमें जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं)
(iii) लद्दाख (जिसमें केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख शामिल है)
(iv) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं)
(v) लक्षद्वीप (जिसमें लक्षद्वीप द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं)

3. एक जोन या विशेष क्षेत्र (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) के लिए पैनल में शामिल लेखापरीक्षक उस डीपीओ की लेखापरीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे जिसका उक्त जोन या विशेष क्षेत्र के बाहर कोई संचालन या हेडएंड है।
4. लेखा परीक्षा एजेंसी लेखापरीक्षकों के पैनल में सूचीबद्ध करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करेगी:-
   (क) यह कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी होनी चाहिए, या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत एक पंजीकृत एलएलपी, या साझेदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत पंजीकृत एक साझेदारी फर्म, या एक स्वामित्व वाली फर्म होनी चाहिए जो आईसीएआई डीएस साथ पंजीकृत एक लेखापरीक्षा फर्म हो।
   (ख) इसके तत्काल दो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में, न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार निम्न प्रकार होना चाहिए:-
      (i) अखिल भारतीय पैनल के लिए या एक से अधिक क्षेत्रों में पैनल के लिए केवल पचास लाख रुपए (रु. 50,00,000/-),;
      (ii) जोनल स्तर के पैनल के लिए केवल पच्चीस लाख रुपये (25,00,000/- रुपये); और
      (iii) स्थानीय स्तर के पैनल के लिए केवल पांच लाख रुपए (रु. 5,00,000/-)
   (ग) इसके पास स्वयं या अपने किसी भी भागीदार/कर्मचारी के माध्यम से निम्न में एक वर्ष का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए : -
      (i) डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएएस) का ओडिट [सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस)/कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस)] (तकनीकी और/या सब्सक्रिप्शन) का लेखापरीक्षा; या
      (ii) बिलिंग और मीटरिंग और/या भुगतान और प्रीपेड चार्जिंग सिस्टम की लेखापरीक्षा जिसमें सॉफ्टवेयर टूल्स और/या बैंकिंग आईटी सिस्टम का उपयोग शामिल है; या
      (iii) स्थानीय स्तर के पैनल के लिए, बीएफएसआई (बैंकिंग वित्त सेवा और बीमा) / दूरसंचार क्षेत्र में तकनीकी लेखा परीक्षा।

नोट: सांविधिक/आंतरिक (वित्तीय)/समवर्ती लेखा परीक्षा/राजस्व लेखा परीक्षा/प्रबंधन लेखा परीक्षा/सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा/आईएफसी लेखा परीक्षा/लेखा कराधान और जीएसटी परामर्श/स्टॉक लेखा परीक्षा/खातों की समीक्षा/उपभोक्ता खातों की लेखा परीक्षा/विशेष लेखा परीक्षा/सॉफ्टवेयर में मैप किए गए विभिन्न वितरकों के खातों की लेखा परीक्षा/एसएमएस की लेखापरीक्षा/बिलिंग और मीटरिंग की समीक्षा/भुगतान की समीक्षा और प्रीपेड चार्जिंग सिस्टम जिसमें सॉफ्टवेयर टूल्स/एनबीएफसी के आईटी लेखापरीक्षा/माइग्रेशन लेखापरीक्षा और इसी तरह के लेखापरीक्षा शामिल हैं, में अनुभव को ईओआई के अनुसार प्रासंगिक अनुभव के रूप में नहीं माना जाएगा। हालांकि, 'राजस्व आश्वासन लेखापरीक्षा' और 'आईटी सिस्टम का उपयोग कर व्यवसाय विश्लेषण से संबंधित लेखापरीक्षा' को ईओआई के अनुसार आवश्यक प्रासंगिक अनुभव के रूप में माना जा सकता है।

   (घ) इसमें कम से कम तीन पूर्णकालिक पेशेवर चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए)/कंपनी सचिव (सीएस)/लागत लेखाकार (सीएओ)/स्नातक अभियंता होंगे, और तीन पेशेवरों में से कम से कम एक चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए)/कंपनी सचिव (सीएस)/लागत लेखाकार (सीओए) होना

चाहिए। ऐसे पेशेवर आवेदन की तिथि से पहले कम से कम छह (6) महीने से लेखा परीक्षा एजेंसी के साथ काम करने वाले पूर्णकालिक भागीदार या कर्मचारी होने चाहिए;

(ङ) आवेदक या उसके किसी भी पेशेवर को किसी भी राज्य सरकार / केंद्र सरकार या किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी वैधानिक निकाय या किसी पेशेवर निकाय के किसी भी विभाग द्वारा अयोग्य घोषित या ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया होगा। इसके अलावा, आवेदक या उसके किसी पेशेवर को अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया हो।

(च) आवेदक को प्रसारण और वितरण उद्योग का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और नेटवर्क हेड-एंड सेटअप, ग्राहक और सिस्टम जीवनचक्र ज्ञान और एसएमएस और सीएएस में ग्राहकों के विवरण के एकीकरण में कुशल होना चाहिए;

(छ) आवेदक को प्रसारण सेवा प्रदाताओं से स्वतंत्र होना चाहिए और सीएएस / एसएमएस / मिडलवेयर / इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (ईपीजी) या इसी प्रकार के अन्य सॉफ्टवेयर के डिजाइन, निर्माण, संचालन या रखरखाव में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी या रुचि नहीं होनी चाहिए। एक सेवा प्रदाता के डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले हार्डवेयर/इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। इसके अलावा, न तो आवेदक का कोई निदेशक/साझेदार/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और न ही उसका कोई लेखा-परीक्षा कार्मिक पिछले एक वर्ष में कार्यरत होना चाहिए या वर्तमान में किसी ऐसी कंपनी में समान पद पर होना चाहिए जो प्रसारण और वितरण गतिविधियों के व्यवसाय में शामिल है। लेखापरीक्षा एजेंसी प्रस्ताव के साथ इस आशय का एक वचन पत्र प्रस्तुत करेगी।

5. सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्ताव परिशिष्ट-I में दिए गए प्रारूप में और परिशिष्ट-VIII के अनुसार सीलबंद लिफाफे में संबंधित भादूविप्रा कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। जो आवेदक एक से अधिक ज़ोन-लोकल (विशेष) क्षेत्र के लिए पैनल में शामिल होने का इच्छुक है, उसे अखिल भारतीय पैनल के रूप में माना जाएगा और उसे अपना प्रस्ताव भादूविप्रा मुख्यालय (मुख्यालय) नई दिल्ली में जमा करना चाहिए। यदि कोई आवेदक भादूविप्रा के एक से अधिक क्षेत्रीय कार्यालयों में एक से अधिक जोन(नों)/स्थानीय (विशेष) क्षेत्रों के लिए अलग-अलग आवेदन करता है, तो ऐसे प्रस्ताव पर केवल एक क्षेत्र/स्थानीय (विशेष) क्षेत्र के लिए विचार किया जाएगा और जोन(नों)/स्थानीय (विशेष) क्षेत्रों के लिए सुरक्षा जमाओं को जब्त कर लिया जाएगा। पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया अब से एक निरंतर प्रक्रिया होगी और यह प्रक्रिया मासिक आधार पर की जा सकती है अर्थात पैनल में शामिल होने के अगले दौर के लिए एक महीने के अंतिम कार्य दिवस तक एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। एक आवेदक केवल एक बार आवेदन करेगा जब तक कि भादूविप्रा उसे अपने प्रस्ताव की स्वीकृति/अस्वीकृति के बारे में सूचित न करे। भादूविप्रा सभी आवेदकों को इस बारे में सूचित करेगा कि क्या उन्हें पैनल में शामिल किया गया है या उनका आवेदन खारिज कर दिया गया है। एक बार भादूविप्रा मुख्यालय या भादूविप्रा के किसी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा खारिज कर दिया गया एक आवेदक ऐसी अस्वीकृति की सूचना की तिथि से बारह (12) महीने तक फिर से आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।

ह./
(सपना शर्मा)
संयुक्त सलाहकार (बी एंड सीएस)

खंड II

<u>संभावित लेखापरीक्षा एजेंसियों को निर्देश</u>

1. लेखापरीक्षकों के रूप में पैनल में शामिल करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, लेखा परीक्षा एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया और पैनल में शामिल करने के नियम और शर्तें रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित करने वाले इस दस्तावेज़ में दी गई हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: -

खंड-I : प्रस्ताव आमंत्रण सूचना

खंड-II : संभावित लेखापरीक्षा एजेंसियों को निर्देश

खंड- III: संदर्भ शर्तें

परिशिष्ट-I : आवेदन जमा करने का प्रारूप

परिशिष्ट-II : सीए/सीएस/लागत लेखाकार पेशेवरों/स्नातक अभियंताओं की सूची

परिशिष्ट-III : शपथपत्र - खंड वार अनुपालन

परिशिष्ट- IV : शपथपत्र – स्वतंत्रता

परिशिष्ट-V : शपथपत्र – प्रतिबंधित सूची

परिशिष्ट-VI : शपथपत्र – अच्छा ज्ञान

परिशिष्ट-VII: अखिल भारतीय पैनल के लिए मूल्यांकन मानदंड

परिशिष्ट-VII-क : जोनल स्तर के पैनल के लिए मूल्यांकन मानदंड

परिशिष्ट-VII-ख : स्थानीय स्तर के पैनल के लिए मूल्यांकन मानदंड

परिशिष्ट-VIII : भादूविप्रा के कार्यालयों का विवरण जहां प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है

2. पैनल में शामिल करने के प्रस्ताव लेखापरीक्षा एजेंसी द्वारा परिशिष्ट-I में निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत किए जाएंगे।

लेखापरीक्षा एजेंसी अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नाम, पदनाम, पता, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर और ई-मेल आईडी सहित संपर्क विवरण प्रदान करेगी ताकि भादूविप्रा द्वारा पत्राचार किया जा सके। पैनल में शामिल होने के बाद लेखापरीक्षा एजेंसी सेवा प्रदाताओं के संदर्भ और संपर्क के लिए उक्त नाम, पता और अन्य विवरणों को अपडेट रखेगी।

3. परिशिष्ट-I में निर्धारित प्रस्ताव के साथ परिशिष्ट- II में निर्धारित प्रारूप के अनुसार सीए/सीएस/लागत लेखाकार पेशेवरों/इंजीनियरों की सूची संलग्न होना चाहिए

4. पैनल में शामिल करने के प्रस्ताव के साथ, लेखा परीक्षा एजेंसी परिशिष्ट-III में निर्धारित प्रारूप के अनुसार इस अभिरुचि की सभी शर्तों/खंडों की स्वीकृति के लिए अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित खंड वार अनुपालन की पुष्टि करने वाला एक शपथपत्र/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी।

5. लेखापरीक्षा एजेंसी माह के अंतिम कार्य दिवस तक सभी प्रकार से पूर्ण अपना प्रस्ताव एक सीलबंद लिफाफे में सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करेगी। प्रस्ताव "भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण" के नाम एक अनुसूचित बैंक में देय डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के रूप में केवल बीस हजार रुपये (रु 20,000 / -) की वापसी योग्य सुरक्षा जमा के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। अधूरे प्रस्ताव और/या जिन प्रस्तावों के साथ सुरक्षा राशि नहीं है, उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। हालांकि, भादूविप्रा के पास पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कमियों/अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार सुरक्षित है। हितधारकों के अनुरोध के आधार पर भादूविप्रा बोली से पूर्व स्पष्टीकरण बैठक आयोजित कर सकता है।

7. असफल आवेदकों को उनके आवेदनों की अस्वीकृति के साठ (60) दिनों के अंदर उनकी सुरक्षा राशि वापस कर दी जाएगी। पैनल में शामिल करने के लिए चुनी गई लेखापरीक्षा एजेंसी को केवल दो लाख (रु. 2,00,000/-) रुपये की कार्यप्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करनी होगी जो "सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण" के नाम तीस (30) महीनों के लिए वैध होगी। सफल आवेदकों को उनके द्वारा कार्यप्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करने के बाद ही सुरक्षा राशि वापस की जाएगी। सुरक्षा जमा पर भादूविप्रा द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि चयनित फर्म अपेक्षित कार्यप्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहती है, तो उनकी सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी।

8. भादूविप्रा बिना कोई कारण बताए पैनल में शामिल होने के नोटिस को रद्द करने या किसी या सभी आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

खंड-III

डिजिटल एड्रेसिबल सिस्टम के ओडिट के लिए लेखा परीक्षकों के पैनल निर्माण के लिए संदर्भ शर्तें

1. पृष्ठभूमि:

1.1 भादूविप्रा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) (जिसे यहाँ पर "भादूविप्रा अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, " दूरसंचार सेवाओं" को नियंत्रित करने के लिए स्थापित एक सांविधिक निकाय है । केंद्र सरकार ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) में अपनी अधिसूचना संख्या 39 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एस.ओ. 44 (ई) और एस.ओ. 45 (ई) दिनांक 09.01.2004 के माध्यम से दूरसंचार सेवा के रूप में 'प्रसारण सेवाओं' और 'केबल सेवाओं' को अधिसूचित किया, जिसने भादूविप्रा को उक्त क्षेत्र को भी विनियमित करने का अधिकार प्रदान किया है। भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत भादूविप्रा को प्रदान किए गए मुख्य कार्यों में प्रसारण सेवाओं पर शुल्क, इंटरकनेक्शन और सेवा की गुणवत्ता को विनियमित करना शामिल है।

1.2 भादूविप्रा ने पूर्व में प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्र को विनियमित करने के लिए विभिन्न विनियम, टैरिफ आदेश और निर्देश जारी किए हैं। 3 मार्च, 2017 को भादूविप्रा ने डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के लिए एक नियामक ढांचा तैयार किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इंटरकनेक्शन विनियम, 2017, क्यूओएस विनियम, 2017 और टैरिफ आदेश, 2017 शामिल हैं। इस ढांचे को प्रेस विज्ञप्ति संख्या 71/2018 दिनांक 3 जुलाई, 2018 के माध्यम से विधिवत रूप से अधिसूचित किया गया था जिसमें उपर्युक्त ढांचे में निर्धारित सभी समयसीमाओं को 3 जुलाई 2018 से प्रभावी बनाया गया था। इन विनियमों का पूरा विवरण, टैरिफ आदेश और प्रेस विज्ञप्ति भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov पर उपलब्ध है। इंटरकनैक्शन विनियम, 2017, क्यूओएस विनियम, 2017 और टैरिफ आदेश, 2017 में समय-समय पर किए गए संशोधन भी भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं।

1.3 टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में देश में लगभग 1143 सक्रिय एमएसओ, 4 निजी डीटीएच ऑपरेटर, 328 पे टीवी ब्रॉडकास्टर, एक एचआईटीएस ऑपरेटर और कुछ आईपीटीवी ऑपरेटर शामिल हैं। सेवा प्रदाताओं का आकार और नेटवर्क काफी भिन्न है क्योंकि उनमें से कुछ के पास एक विशाल ग्राहक आधार है, जबकि कई मध्यम और छोटे वितरक हैं।

1.4 इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 के विनियम 10(7), 15(1) और 15(2) में लेखापरीक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। विनियम 10(7) के अंतर्गत किसी वितरक को सिग्नल प्रदान करने से पहले एक प्रसारक द्वारा लेखापरीक्षा शुरू की जाती है ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि वितरक का अड्रेसिबल सिस्टम विनियमों द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं। विनियम 15(1) के अंतर्गत एक वितरक को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार अपने सिस्टम की लेखापरीक्षा के लिए कॉल करने के लिए बाध्य है। विनियम 15(2) एक ऐसे ब्रॉडकास्टर द्वारा करवाए जाने वाली लेखापरीक्षा के लिए प्रावधान करता है जो या तो किसी वितरक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है या उसकी राय है कि वितरक द्वारा उपयोग की जा रही एड्रेसेबल सिस्टम इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

1.5 इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 में प्रावधान है कि प्राधिकरण ऐसी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से लेखापरीक्षकों को सूचीबद्ध कर सकता है। स्थापित कार्यपद्धति के एक भाग के रूप में लेखा परीक्षकों के पैनल से संबंधित नियमों और शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए, भादूविप्रा ने 22.12.2017 को "डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के लिए लेखा परीक्षकों के पैनल" पर एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें शामिल मुद्दों पर हितधारकों की लिखित टिप्पणियों की मांग की गई थी। इसके बाद, इस मुद्दे पर 12 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में भादूविप्रा के कार्यालय में एक ओपन हाउस डिस्कशन (ओएचडी) का आयोजन किया गया, जिसमें संघों, कंपनियों, संगठनों, फर्मों, सेवा प्रदाताओं और लोगों सहित कई हितधारकों ने भाग लिया।

1.6 भादूविप्रा द्वारा गठित हितधारकों की समिति, जिसमें इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (आईबीएफ), न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए), ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (एआईडीसीएफ), डीटीएच एसोसिएशन और बीईसीआईएल द्वारा नामित सदस्य शामिल हैं, के परिणाम के आधार पर भादूविप्रा ने 29 मार्च, 2019 को 'दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम ऑडिट मैनुअल' पर एक परामर्श पत्र जारी किया। इसके बाद, प्राधिकरण ने 8 नवंबर, 2019 को 'दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम ऑडिट मैनुअल' जारी किया। 2019। यह ऑडिट मैनुअल भादूविप्रा की वेबसाइट https://main.trai.gov.in/sites/default/files/Audit_manual_08112019_0.pdf पर उपलब्ध है। यह लेखापरीक्षा नियमावली हितधारकों के लिए एक मार्गदर्शन दस्तावेज के रूप में प्रस्तावित है। यह नियमावली मौजूदा विनियमों के किसी प्रावधान का अधिक्रमण नहीं करती है। इंटरकनेक्शन विनियम, 2017, अन्य मौजूदा विनियमों या टैरिफ आदेश और ऑडिट मैनुअल के प्रावधान के बीच किसी भी विसंगति के मामले में, इन नियमों/टैरिफ आदेशों के प्रावधान लागू होंगे।

1.7 इस बीच प्राधिकरण ने लेखा परीक्षकों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया भी शुरू की। भादूविप्रा ने पैनल के पहले दौर के लिए 29 मार्च, 2019 को डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम की लेखापरीक्षा करने के लिए 25 अक्टूबर, 2019 को दूसरे दौर के पैनल के लिए रुचि की अभिव्यक्ति का निमंत्रण जारी किया था । तत्पश्चात प्राप्त प्रस्तावों की जांच करने के बाद, प्राधिकरण ने कुछ लेखापरीक्षा एजेंसियों (भादूविप्रा वेबसाइट पर उपलब्ध सूची) को पहले ही सूचीबद्ध कर लिया है। यह आमंत्रण उक्त विनियमों के अंतर्गत डिजिटल एड्रेसिबल सिस्टम का ओडिट कनरे के लिए पैनल निर्माण के चौथे दौर के लिए ओडिट एजेंसियों से प्रस्तावों को आमंत्रित करने के लिए जारी किया जा रहा है।

2 कार्य क्षेत्र:

कार्य का क्षेत्र इस प्रकार है:

(क) वितरक के एड्रेसेबल सिस्टम का ऑडिट यह सत्यापित करने के लिए कि क्या टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा उपयोग किया जा रहा एड्रेसेबल सिस्टम इंटर कनेक्शन रेगुलेशन, 2017 की अनुसूची ।।। में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है;

(ख) सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम और एड्रेसेबल सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूटर के अन्य संबंधित सिस्टम का वर्ष में एक बार ऑडिट ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि वितरक द्वारा प्रशारकों को उपलब्ध कराई गई मासिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 के विनियम 15 के अनुसार पूर्ण, सत्य, और सही है।

(ग) इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 के विनियम 10(7), 15(1) और 15(2) के अनुसार लेखा परीक्षा।

'8 नवंबर, 2019 को जारी 'दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम ऑडिट मैनुअल' हितधारकों के लिए एक मार्गदर्शन दस्तावेज है। यह नियमावली मौजूदा विनियमों के किसी प्रावधान का अधिक्रमण नहीं करती है।

3 पैनल का गठन और वैधता

3.1 भादूविप्रा, परिशिष्ट-VII, VII-क और VII-ख में वर्णित शॉर्टलिस्टिंग/मूल्यांकन के मानदंडों के आधार पर लेखा परीक्षकों के पैनल का चयन करेगा।

3.2 पैनल में शामिल होने की अवधि संबंधित फर्म के पैनल में शामिल होने की तिथि से दो (2) वर्षों के लिए वैध होगी।

3.3 प्राधिकरण के पास लेखापरीक्षा एजेंसी के अनुरोध पर, और पैनल में शामिल करने की अवधि के दौरान उनके लेखापरीक्षा निष्पादन के मूल्यांकन के बाद, पैनल को आगे की अवधि के लिए विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है।

3.4 भादूविप्रा बिना कोई कारण बताए किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, भादूविप्रा किसी भी समय पैनल की समीक्षा और विस्तार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

4 योग्यता मानदंड:

पैनल में शामिल होने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पत्रताओं को पूरा करना आवश्यक है:

(क) आवेदक कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत एक कंपनी होना चाहिए, या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत पंजीकृत एक एलएलपी, या साझेदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत पंजीकृत एक साझेदारी फर्म, या आईसीएआई के साथ पंजीकृत एक ऑडिट फर्म के रूप में एक स्वामित्व फर्म होन चाहिए।

(ख) आवेदक के पास कम से कम तीन पूर्णकालिक पेशेवर चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए)/कंपनी सचिव (सीएस)/लागत लेखाकार (सीएओ)/स्नातक अभियंता होंगे, और तीन पेशेवरों में से कम से कम एक चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए)/कंपनी सचिव (सीएस)/लागत लेखाकार (सीओए) होना चाहिए। ऐसे पेशेवर आवेदन की तिथि से पहले कम से कम छह (6) महीने से लेखा परीक्षा एजेंसी के साथ काम करने वाले पूर्णकालिक भागीदार या कर्मचारी होने चाहिए; (ऐसे पेशेवरों की सूची प्रस्ताव के साथ परिशिष्ट-II में निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए)।

(ग) आवेदक के पास दो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार निम्न प्रकार से होना चहए:

(i) अखिल भारतीय पैनल के लिए या एक से अधिक क्षेत्रीय स्तर के पैनल के लिए केवल पचास लाख रुपये (रु 50,00,000/-)।

(ii) जोनल स्तर के पैनल के लिए केवल पच्चीस लाख रुपये (25,00,000/- रुपये); और

(iii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर के पैनल के लिए केवल पांच लाख रुपये (5,00,000/- रुपये)।

ऑडिट एजेंसी पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए ऑडिटेड बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता और अन्य वित्तीय विवरण, यदि कोई हो, सहित इस संबंध में स्वयं द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगी।

(घ) आवेदक के पास स्वयं का या अपने किसी भी भागीदार/कर्मचारी के माध्यम से एक वर्ष का निम्न का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए: -

(i) वितरकों के डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएएस) [सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस)/कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस)] (तकनीकी और/या सब्सक्रिप्शन) का ऑडिट; या

(ii) बिलिंग और मीटरिंग और/या भुगतान और प्रीपेड चार्जिंग सिस्टम का ऑडिट जिसमें सॉफ्टवेयर टूल्स और/या बैंकिंग आईटी सिस्टम का उपयोग शामिल है; या

(iii) स्थानीय स्तर पर पैनल के लिए बैंकिंग वित्त सेवा और बीमा (बीएफएसआई)/दूरसंचार क्षेत्र में तकनीकी लेखा परीक्षा।

लेखा परीक्षा एजेंसी प्रासंगिक अनुभव के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगी।

नोट: सांविधिक/आंतरिक (वित्तीय)/समवर्ती लेखा परीक्षा/राजस्व लेखा परीक्षा/प्रबंधन लेखा परीक्षा/सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा/आईएफसी लेखा परीक्षा/लेखा कराधान और जीएसटी परामर्श/स्टॉक लेखा परीक्षा/खातों की समीक्षा/उपभोक्ता खातों की लेखा परीक्षा/विशेष लेखा परीक्षा/सॉफ्टवेयर में मैप किए गए विभिन्न वितरकों के खातों की लेखा परीक्षा/एसएमएस की लेखापरीक्षा/बिलिंग और मीटरिंग की समीक्षा/भुगतान की समीक्षा और प्रीपेड चार्जिंग सिस्टम जिसमें सॉफ्टवेयर टूल्स/एनबीएफसी के आईटी लेखापरीक्षा/माइग्रेशन लेखापरीक्षा और इसी तरह के लेखापरीक्षा शामिल हैं, में अनुभव को ईओआई के अनुसार प्रासंगिक अनुभव के रूप में नहीं माना जाएगा। हालांकि, 'राजस्व आश्वासन लेखापरीक्षा' और 'आईटी सिस्टम का उपयोग कर व्यवसाय विश्लेषण से संबंधित लेखापरीक्षा' को ईओआई के अनुसार आवश्यक प्रासंगिक अनुभव के रूप में माना जा सकता है।

(ङ) आवेदक को प्रसारण और वितरण उद्योग का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और नेटवर्क हेड-एंड सेटअप, ग्राहक और सिस्टम जीवनचक्र ज्ञान और एसएमएस और सीएएस में ग्राहक विवरण के एकीकरण को समझने में कुशल होना चाहिए। लेखापरीक्षा एजेंसी परिशिष्ट-VI में निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रस्ताव के साथ इस आशय का एक वचन पत्र प्रस्तुत करेगी।

(च) आवेदक को प्रसारण सेवा प्रदाताओं से स्वतंत्र होना चाहिए और सीएएस / एसएमएस / मिडलवेयर / इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (ईपीजी) या इसी प्रकार के अन्य सॉफ्टवेयर के डिजाइन, निर्माण, संचालन या रखरखाव में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी या रुचि नहीं होनी चाहिए। एक सेवा प्रदाता के डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले हार्डवेयर/इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। इसके अलावा, न तो आवेदक का कोई निदेशक/साझेदार/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और न ही उसका कोई लेखा-परीक्षा कार्मिक पिछले एक वर्ष में कार्यरत होना चाहिए या वर्तमान में किसी ऐसी कंपनी में समान पद पर होना चाहिए जो प्रसारण और वितरण गतिविधियों के व्यवसाय में शामिल है। लेखापरीक्षा एजेंसी प्रस्ताव के साथ परिशिष्ठ IV में निर्धारित प्रारूप में इस आशय का एक वचन पत्र प्रस्तुत करेगी।

(छ) आवेदक या उसके किसी भी पेशेवर को किसी भी राज्य सरकार / केंद्र सरकार या किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी वैधानिक निकाय या किसी पेशेवर निकाय के किसी भी विभाग द्वारा अयोग्य घोषित या प्रतिबंधित सूची में नहीं रखा गया हो। इसके अलावा, आवेदक या उसके किसी पेशेवर को किसी भी समय आपराधिक कदाचार का दोषी नहीं ठहराया गया हो। आवेदक को

प्रस्ताव के साथ इस आशय का एक वचनबंध परिशिष्ट-V में निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।

5 रिपोर्टिंग की आवश्यकता:

5.1 लेखापरीक्षा एजेंसी संबंधित तिमाही के अंत से इक्कीस (21) दिनों के अंदर, उनके द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाइयों पर सिफारिशों सहित लेखापरीक्षा के विवरण और इसके व्यापक परिणामों के बारे में भादूविप्रा द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

5.2 यदि ऑडिट एजेंसी को ऑडिट के दौरान वितरक की प्रणाली में कोई बड़ी विसंगति दिखाई देती है, तो उसे तुरंत भादूविप्रा को सूचित किया जाएगा।

6 गोपनीयता:

6.1 ऑडिट एजेंसी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सभी सूचनाओं को गोपनीय रखेगी और सेवा प्रदाता के लिखित अनुमोदन के बिना ऐसी जानकारी को साझा नहीं करेगी।

6.2 ऑडिट एजेंसी सेवा प्रदाता की संतुष्टि के लिए सेवा प्रदाता के साथ आवश्यक गोपनीयता समझौता करेगी।

7 अन्य नियम और शर्तें

7.1 ऑडिट एजेंसी इस दस्तावेज़ और इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 में निर्धारित कार्य क्षेत्र का पालन करेगी।

7.2 ऑडिट एजेंसी और उसके स्टाफ/ऑडिट कर्मियों को उच्चतम स्तर की पेशेवर सत्यनिष्ठा और तकनीकी क्षमता के साथ कार्यों को पूरा करना चाहिए। उन्हें सभी दबावों और प्रलोभनों विशेष रूप से वित्तीय, जो उनके निर्णय या किसी मूल्यांकन के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं, विशेष रूप से रुचि रखने वाले व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों से से मुक्त होना चाहिए;

7.3 ऑडिट एजेंसी निरीक्षण स्टाफ/लेखापरीक्षा कर्मियों की निष्पक्षता की गारंटी देगी। उनका पारिश्रमिक किए गए आकलनों की संख्या या ऐसे आकलन के परिणामों पर निर्भर नहीं होना चाहिए।

7.4 किसी भी कदाचार या लापरवाही के मामले में, भादूविप्रा किसी भी समय किसी भी सरकारी एजेंसी या विभाग/सांविधिक निकाय/आईसीएआई/आईसीडब्ल्यूएआई या किसी अन्य संबंधित पेशेवर निकाय को मामले की रिपोर्ट कर सकता है।

7.5 ओडिट एजेंसी अपने पैनल में शामिल होने की अवधि के दौरान हर समय आवश्यक कार्यालय की स्थापना और कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए उचित संख्या में कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करेगी।

7.6 ऑडिट एजेंसी सौंपे गए ऑडिट कार्य को किसी बाहरी फर्म या अन्य व्यक्तियों को उप-ठेके पर नहीं देगी।

7.7 यदि आवेदक द्वारा भादूविप्रा को प्रस्तुत कोई सूचना/दस्तावेज, चाहे प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय या उसके बाद में गलत या भ्रामक पाया जाता है, तो ऑडिट एजेंसी को तुरंत पैनल से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा, ऑडिट एजेंसी और उक्त ऑडिट के लिए तैनात पेशेवर वैधानिक दिशानिर्देशों या पेशेवर नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

7.8 भादूविप्रा किसी भी ऑडिट एजेंसी को पैनल से हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि यह पाया जाता है कि इस दस्तावेज़ में निर्धारित किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया है, या ऑडिटर

का प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, या वह कोई गंभीर कार्य करता है, उनके कामकाज में चूक या कमीशन देखा जाता है। ऐसी ऑडिट एजेंसी को दो (2) वर्षों की अवधि के लिए भादूविप्रा के साथ पैनल में शामिल करने के लिए प्रतिबंधित सूची में डाल दिया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो आवश्यक कार्रवाई के लिए मामले को आईसीएआई और/या आरबीआई/आईबीए/आईसीएसआई/आईसीडब्ल्यूएआई/बीसीआई या किसी अन्य संबंधित पेशेवर निकाय को सूचित किया जा सकता है।

7.9 पैनल इस दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों की बिना शर्त स्वीकृति के अधीन होगा।

7.10 ऑडिट एजेंसी सेवा प्रदाताओं के डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम का ऑडिट करने और उसकी रिपोर्ट करने के उद्देश्य से समय-समय पर भादूविप्रा द्वारा जारी सभी निर्देशों, दिशानिर्देशों आदि का पालन करेगी।

7.11 लेखा परीक्षा एजेंसी किसी भी सेवा प्रदाता, जिसके लिए वह सांविधिक लेखा परीक्षक या आंतरिक लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक है या जहां वह सेवा प्रदाता के लिए सलाहकार है, के एड्रेसिबल सिस्टम की लेखापरीक्षा नहीं करेगी।

7.12 ऑडिट एजेंसी किसी भी सेवा प्रदाता की एड्रेसेबल सिस्टम की लगातार तीन (3) वर्षों से अधिक के लिए ऑडिट नहीं करेगी।

7.13 भादूविप्रा ऑडिट एजेंसी को बैठकों/प्रस्तुतिकरणों के लिए स्पष्टीकरण मांगने/प्रदान करने या लेखापरीक्षा की प्रगति की समीक्षा करने के लिए बुला सकता है। लेखापरीक्षा एजेंसी ऐसी बैठकों/प्रस्तुतिकरणों में अपने खर्चे पर भाग लेंगी।

7.14 ऑडिट एजेंसी इस समझौते के अंतर्गत सेवा प्रदाता को ऑडिट एजेंसी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे, मांग, विवाद या किसी भी प्रकृति के निर्णय के खिलाफ भादूविप्रा की क्षतिपूर्ति करेगी और उसे हानिरहित बनाए रखेगी। भादूविप्रा को इससे होने वाली मौद्रिक हानि, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति लेखा परीक्षा एजेंसी से प्राप्त करने का अधिकार होगा। भादूविप्रा अपने विवेक से, इस अनुच्छेद के अंतर्गत ऑडिट एजेंसी के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी परिस्थितियों में ऑडिट एजेंसी को पैनल से हटा सकता है, जो पैनल से ऑडिट एजेंसी को हटाने के बाद भी बनी रहेगी।

7.15 इस दस्तावेज़ से उत्पन्न होने वाले विवादों/स्पष्टीकरणों के मामले में, भादूविप्रा का निर्णय अंतिम और ऑडिट एजेंसी के लिए बाध्यकारी होगा।

7.16 लेखा परीक्षा एजेंसी वर्तमान में लागू कानूनों का पालन करेगी और उनके द्वारा शासित होगी।

7.17 इस अभिरुचि की अभिव्यक्ति के साथ जमा किए जाने वाले आवश्यक सभी दस्तावेज अंग्रेजी में होंगे, या उचित प्रमाणीकरण के साथ अंग्रेजी में विधिवत अनुवादित होंगे।

7.18 ऑडिट एजेंसी द्वारा सेवा प्रदाता को प्रदान की गई सेवाओं से उत्पन्न होने वाले किसी भी कदाचार या लापरवाही के मामले में ऑडिटर किसी भी परिणाम के लिए एकमात्र जिम्मेदार होगा। हालांकि, ऐसी परिस्थितियों में, भादूविप्रा के पास ऑडिटर के वीरुध कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है।

परिशिष्ट-**I**

आवेदन जमा करने का प्रारूप

जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है : (ए) अखिल भारतीय पैनल

या

(ख) आंचलिक स्तर का पैनल

या

(ग) स्थानीय स्तर पर पैनल

(जो लागू हो उस पर निशान √ लगाएँ)

विकल्प (ख) या (ग) के मामले में, कृपया उस क्षेत्र या विशेष क्षेत्र के नाम का उल्लेख करें जिसमें आप काम करना चाहते हैं: ____________________

1. आवेदक का नाम: ......
2. पंजीकृत पता: ......
3. कृपया बताएं कि क्या आवेदक कंपनी है या सांझेदारी फर्म या एलएलपी या आईसीएआई के साथ ऑडिट फर्म के रूप में पंजीकृत स्वामित्व फर्म है। [कृपया नीचे दी गई चेकलिस्ट के अनुसार पंजीकरण या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या सांझेदारी विलेख की प्रमाणित प्रति संलग्न करें, जिसके सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर और मुहर लगी हो (जिसके लिए आवेदक ने संचालन में वर्षों की संख्या का प्रमाण दिया है)]: ......
4. कृपया बताएं कि क्या आवेदक के पास चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए)/कंपनी सचिव (सीएस)/लागत लेखाकार (सीओए)/स्नातक अभियंता (हां/नहीं) में से कम से कम तीन पूर्णकालिक पेशेवर हैं। [कृपया दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करें जिसमें ईओआई के परिशिष्ट-II के अनुसार आवेदक द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए)/कंपनी सचिव (सीएस)/लागत लेखाकार (सीओए)/इंजीनियर के विवरण शामिल हों, आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित और मुहर लगी हो। नीचे दी गई चेकलिस्ट के अनुसार कृपया कम से कम तीन सीए/सीएस/सीओए/स्नातक अभियंता के डिग्री प्रमाणपत्रों की प्रति प्रदान करें, जिस पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर और मुहर लगी हो]: ......
5. पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए आवेदक का औसत वार्षिक कारोबार [कृपया इस संबंध में नीचे दी गई चेकलिस्ट के अनुसार दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करें जिसमें पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण या आयकर रिटर्न शामिल है जो आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित और मुहर लगी हो] : ......
6. कृपया विवरण दें कि आवेदक के पास स्वयं या अपने किसी भागीदार/कर्मचारी के माध्यम से निम्नलिखित में कितने वर्षों का अनुभव है:
   (क) वितरकों के डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएएस) [एसएमएस / सीएएस] (तकनीकी और/या सदस्यता) का ऑडिट: ......

और/या

(ख) बिलिंग और मीटरिंग और/या भुगतान और प्रीपेड चार्जिंग सिस्टम का ऑडिट जिसमें सॉफ्टवेयर टूल्स और/या बैंकिंग आईटी सिस्टम का उपयोग शामिल है: ......

और/या

(ग) बैंकिंग वित्त सेवा और बीमा (बीएफएसआई) / दूरसंचार क्षेत्र में तकनीकी लेखा परीक्षा: ......

[कृपया नीचे दी गई चेकलिस्ट के अनुसार इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें]

7. कृपया विवरण दें कि क्या आवेदक द्वारा कोई डीएस [एसएमएस/सीएएस] (तकनीकी और/या सुब्सक्रिप्शन) ऑडिट किया गया है। [यदि हां, तो कृपया नीचे दी गई जांच सूची के अनुसार किए गए ऑडिट की संख्या और इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करें]: ....
8. कृपया आवेदक द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक पेशेवरों की संख्या बताएं जिनके पास डीएएस [एसएमएस/सीएएस] (तकनीकी और/या सुब्सक्रिप्शन) ऑडिट में अनुभव है। [कृपया नीचे दी गई जांच सूची के अनुसार इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें]: ......
9. कृपया बताएं कि क्या आवेदक प्रसारण सेवा प्रदाताओं से स्वतंत्र है। [कृपया परिशिष्ट-IV के अनुसार आवेदक के लेटरहेड पर आवेदक के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एक शपथपत्र संलग्न करें। कृपया नीचे दी गई चेकलिस्ट देखें]: ......
10. कृपया बताएं कि क्या आवेदक को किसी राज्य सरकार/केंद्र सरकार के किसी विभाग या किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी वैधानिक निकाय या किसी पेशेवर निकाय द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है या प्रतिबंधित सूची में डाला गया है। [कृपया परिशिष्ट-V के अनुसार आवेदक के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एक शपथपत्र संलग्न करें। कृपया नीचे दी गई चेकलिस्ट देखें]: ......
11. कृपया बताएं कि क्या आवेदक के पास प्रसारण और वितरण उद्योग का अच्छा ज्ञान है और नेटवर्क हेड-एंड सेटअप, ग्राहक और सिस्टम जीवन चक्र और एसएमएस और सीएएस में ग्राहक विवरण के एकीकरण को समझने में कुशल है। [कृपया परिशिष्ट IV के अनुसार आवेदक के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एक शपथपत्र संलग्न करें- कृपया नीचे दी गई चेकलिस्ट देखें]: ......
12. कृपया बताएं कि क्या आवेदक इस ईओआई की सभी शर्तों/अनुच्छेदों को स्वीकार करता है। [कृपया परिशिष्ट-III के अनुसार अनुच्छेद-वार अनुपालन की पुष्टि करने वाला एक प्रमाण पत्र प्रदान करें जिस पर आवेदक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो। कृपया नीचे दी गई चेकलिस्ट देखें]: ......
13. कृपया बताएं कि क्या नीचे दी गई चेकलिस्ट के अनुसार आवेदक के दिल्ली (एनसीआर क्षेत्र सहित), मुंबई (ग्रेटर मुंबई, वसई, कल्याण सहित), चेन्नई, कोलकाता या किसी अन्य शहर में शाखा कार्यालय हैं: ......
14. कृपया ऑडिट एजेंसी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पदनाम, पता, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर और ई-मेल आईडी प्रदान करें ताकि भादूविप्रा और सेवा प्रदाताओं द्वारा पत्राचार किया जा सके।
15. कृपया बताएं कि क्या आपने भादूविप्रा या भादूविप्रा मुख्यालय के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में डीएएस की ऑडिट करने के लिए पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन किया है जिसे खारिज

कर दिया गया था। यदि हां, तो अस्वीकृति की सूचना देने वाले भादूविप्रा के पत्र की तिथि का उल्लेख करें।

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम और पदनाम

स्थान:

दिनांक:

चेकलिस्ट

1. उपरोक्त प्रारूप के बिंदु संख्या 3 की आवश्यकताएँ:-
   (i) कृपया सूचित करें कि क्या आप एक कंपनी या साझेदारी फर्म या एलएलपी या एक प्रोपराइटरशिप फर्म हैं जो आईसीएआई के साथ ऑडिट फर्म के रूप में पंजीकृत हैं
   (ii) कृपया पंजीकरण या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या पार्टनरशिप डीड की प्रमाणित प्रति संलग्न करें, जिसके सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर और मुहर लगी हो (आवेदक के संचालन में अनुभव के वर्षों की संख्या का प्रमाण)।
2. उपरोक्त प्रारूप के बिंदु संख्या 4 की आवश्यकताएँ:-
   (i) कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या आप इस ईओआई के खंड-III के अनुच्छेद 4(ख) के मानदंडों को पूरा करते हैं।
   (ii) कृपया परिशिष्ट-II के अनुसार आवेदक के लेटरहेड पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित और मुहर लगी पूरी जानकारी प्रदान करें।
   (iii) कृपया कम से कम तीन सीए/सीएस/सीओए/स्नातक इंजीनियर डिग्री प्रमाणपत्रों की प्रति उपलब्ध कराएं (उनमें से कम से कम एक सीए / सीएस / सीओए होना चाहिए) और आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित और मुहर लगी हो।
3. उपर्युक्त प्रारूप के बिंदु संख्या 5 की आवश्यकताएँ:-
   (i) कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या आप बिंदु संख्या 5 के उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करते हैं।
   (ii) कृपया पिछले दो वित्तीय वर्षों का वार्षिक टर्नओवर प्रदान करें।
   (iii) कृपया इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करें जिसमें पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण या आयकर रिटर्न, आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित और मुहर लगी हो (वार्षिक रिपोर्ट की प्रति भी प्रदान की जा सकती है)।
4. उपर्युक्त प्रारूप के बिंदु संख्या 6 की आवश्यकताएँ:-
   (i) कृपया स्पष्ट रूप से दर्शाएँ कि क्या आवेदक के पास स्वयं या उसके किसी भागीदार/कर्मचारी के माध्यम से निम्न का अनुभव है, (i) वितरकों का डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएएस) [एसएमएस/सीएएस] (तकनीकी और/ या सदस्यता); या (ii) बिलिंग

और मीटरिंग और/या भुगतान और प्रीपेड चार्जिंग सिस्टम के ऑडिट में कम से कम एक वर्ष का अनुभव जिसमें सॉफ्टवेयर टूल्स और/या बैंकिंग आईटी सिस्टम का उपयोग शामिल है।

(ii) (क) कृपया वितरकों के डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएएस) [एसएमएस/सीएएस] (तकनीकी और/या सदस्यता) के ऑडिट के मामले में वर्षों की संख्या के संदर्भ में स्पष्ट रूप से अनुभव प्रदान करें जिस पर आवेदक के हस्ताक्षर और मुहर लगी हो।

और/या

(ख) कृपया बिलिंग और मीटरिंग और/या भुगतान और प्रीपेड चार्जिंग सिस्टम के ऑडिट के मामले में वर्षों की संख्या के संदर्भ में स्पष्ट रूप से अनुभव प्रदान करें, जिसमें सॉफ्टवेयर टूल्स और/या बैंकिंग आईटी सिस्टम का उपयोग शामिल है, जिस पर आवेदक के हस्ताक्षर और मुहर लगी हो।

और/या

(ग) कृपया बैंकिंग वित्त सेवा और बीमा (बीएफएसआई)/दूरसंचार क्षेत्र में तकनीकी लेखा परीक्षा के मामले में वर्षों की संख्या के संदर्भ में स्पष्ट रूप से अनुभव प्रदान करें।

(iii) कृपया उस एजेंसी द्वारा जारी किए गए कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रति प्रदान करें जिसके लिए ऑडिट किया गया था, जिसमें प्रासंगिक अनुभव के वर्षों की संख्या (आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित और मुहर लगी हो), या प्रसारक द्वारा जारी अनुभव मूल प्रमाण पत्र, या जिस एजेंसी के लिए ऑडिट किया गया था उस एजेंसी का प्रासंगिक अनुभव बताते हुए प्रमाणपत्र (उनके लेटरहेड पर हस्ताक्षरित हो और मुहर लगी हो) प्रदान करें।

नोट: वैधानिक / आंतरिक (वित्तीय) / समवर्ती लेखा परीक्षा / राजस्व लेखा परीक्षा / प्रबंधन लेखा परीक्षा / सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा / आईएफसी लेखा परीक्षा / लेखा कराधान और जीएसटी परामर्श / स्टॉक लेखा परीक्षा / खातों की समीक्षा / उपभोक्ता खातों की लेखा परीक्षा / विशेष लेखा परीक्षा का अनुभव सॉफ्टवेयर में मैप किए गए विभिन्न वितरकों के खातों/एसएमएस की ऑडिट/बिलिंग और मीटरिंग की समीक्षा/भुगतान की समीक्षा और प्रीपेड चार्जिंग सिस्टम जिसमें सॉफ्टवेयर टूल्स/एनबीएफसी के आईटी ऑडिट/माइग्रेशन ऑडिट और इसी तरह के अन्य ऑडिट को ईओआई के अनुसार प्रासंगिक अनुभव नहीं माना जाएगा। हालांकि, 'राजस्व आश्वासन लेखापरीक्षा' और 'आईटी सिस्टम का उपयोग कर व्यवसाय विश्लेषण से संबंधित लेखापरीक्षा' को ईओआई के अनुसार आवश्यक प्रासंगिक अनुभव के रूप में माना जा सकता है।

5. उपर्युक्त प्रारूप के बिंदु संख्या 7 की आवश्यकताएँ:-

(i) कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या आवेदक द्वारा कोई डीएएस [एसएमएस/सीएएस] (तकनीकी और/या सब्सक्रिप्शन) ऑडिट किया गया है।

(ii) यदि हां, तो कृपया संबंधित अनुभव के संबंध में एजेंसी द्वारा जारी किए गए कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रति प्रदान करें (आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित और मुहर लगी हो), या प्रासंगिक अनुभव के संबंध में प्रसारक/वितरक के लेटरहेड पर हस्ताक्षरित और प्रिंट किए गए मूल प्रमाण पत्र प्रदान करें।

6. उपर्युक्त प्रारूप के बिंदु संख्या 8 की आवश्यकताएँ:-

(i) कृपया डीएएस [एसएमएस/सीएएस] में अनुभव सहित पूर्णकालिक पेशेवरों की संख्या स्पष्ट रूप से बताएं, जिनके लेटरहेड पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित और मुहर लगाई गई हो।

(ii) कृपया प्रसारक/डीपीओ से प्रमाण पत्र संलग्न करें जिसमें डैस [एसएमएस/सीएएस] ऑडिट में लगे पेशेवर (ओं) के नाम का उल्लेख हो (उनके लेटरहेड पर हस्ताक्षरित और मुहर सहित) ।

(iii) कृपया बताएं कि क्या आपके किसी पेशेवर को किसी प्रतिष्ठित संस्थान में प्रशिक्षित किया गया है, जिसके पास डीएएस [एसएमएस/सीएएस] ऑडिट करने का तीन (3) वर्षों से अधिक का अनुभव है। यदि हां, तो कृपया ऐसे पेशेवरों की संख्या बताएं।

7. उपर्युक्त प्रारूप के बिंदु संख्या 9 की आवश्यकताएँ:-

(i) कृपया परिशिष्ट-IV के अनुसार एक शपथपत्र प्रदान करें।

(ii) आवेदक के लेटरहेड पर तैयार किए गए शपथपत्र पर हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए

(iii) निर्दिष्ट भाषा में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8. उपर्युक्त प्रारूप के बिंदु संख्या 10 की आवश्यकताएँ:-

(i) कृपया परिशिष्ट-V के अनुसार एक शपथपत्र प्रदान करें।

(ii) आवेदक के लेटरहेड पर तैयार किए गए शपथपत्र पर हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए

(iii) निर्दिष्ट भाषा में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9. उपर्युक्त प्रारूप के बिंदु संख्या 11 की आवश्यकताएँ:-

(i) कृपया परिशिष्ट-VI के अनुसार एक शपथपत्र प्रदान करें।

(ii) आवेदक के लेटरहेड पर तैयार किए गए शपथपत्र पर हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए

(iii) निर्दिष्ट भाषा में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

10. उपरोक्त प्रारूप के बिंदु संख्या 12 की आवश्यकताएँ:-

(i) कृपया परिशिष्ट-III के अनुसार एक शपथपत्र प्रदान करें।

(ii) आवेदक के लेटरहेड पर पर तैयार किए गए शपथपत्र पर हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए

(iii) निर्दिष्ट भाषा में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11. उपरोक्त प्रारूप के बिंदु संख्या 13 की आवश्यकताएँ:-

(i) कृपया उन शहरों के नाम दें जिनमें आवेदक के शाखा कार्यालय हैं।

12. कृपया प्रस्ताव के साथ, "भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण" के नाम पर एक अनुसूचित बैंक से डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के रूप में रु. 20,000/- की वापसी योग्य सुरक्षा राशि जमा करें, जो भादूविप्रा मुख्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के मामले में नई दिल्ली में देय है और भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के मामले में भादूविप्रा के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के शहर/स्थान पर देय है (परिशिष्ट-VIII देखें)"।

परिशिष्ट-II

सीए/सीएस/लागत लेखाकार पेशेवरों/स्नातक इंजीनियरों की सूची

क्र. सं.	नाम	पद	क्या पेशेवर सीए/सीएस/सीओए/इंजीनियर है	क्या पूर्णकालिक कर्मचारी/साझेदार हैं	नियुक्ति की तिथि	पीएफ संख्या/यूएएन	सकल वेतन	टिप्पणियां

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम और पद.................................

स्थानः.................................

दिनांकः...........................

परिशिष्ट-III

शपथपत्र - खंड वार अनुपालन

मेसर्स _______, प्रमाणित करता है कि हम _________, 2022 को भादूविप्रा द्वारा जारी "डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम की ऑडिट करने के लिए लेखा परीक्षकों के पैनल" के लिए रुचि की अभिव्यक्ति की सभी शर्तों / खंडों को स्वीकार करते हैं और इस अभिरुचि की अभिव्यक्ति के क्लॉज द्वारा क्लॉज अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(आवेदक के लेटरहेड पर हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए)

परिशिष्ट-IV

शपथपत्र – स्वतंत्रता

मेसर्स __________ प्रसारण सेवा प्रदाताओं से स्वतंत्र है और किसी सेवा प्रदाता के डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले सीएएस / एसएमएस / मिडलवेयर / ईपीजी या हार्डवेयर / इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे सॉफ्टवेयर के डिजाइन, निर्माण, संचालन या रखरखाव में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी या रुचि नहीं रखता है। इसके अलावा, मेसर्स ________ के निदेशकों/साझेदारों/प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और लेखा परीक्षा कर्मियों ने पिछले एक वर्ष में न तो धारण किया है, न ही वे वर्तमान में किसी भी कंपनी में समान पद धारण कर रहे हैं, जो प्रसारण और वितरण गतिविधियों के व्यवसाय में शामिल है।

(आवेदक के लेटरहेड पर हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए)

परिशिष्ट-V

शपथपत्र – प्रतिबंधित सूची

मेसर्स ________ या इसके किसी भी पेशेवर को किसी राज्य सरकार/केंद्र सरकार या किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी वैधानिक निकाय या किसी पेशेवर निकाय के किसी विभाग द्वारा अयोग्य या प्रतिबंधित सूची में नहीं डाला गया है। इसके अलावा, मेसर्स ________ या इसके किसी भी पेशेवर को किसी भी समय आपराधिक कदाचार का दोषी नहीं ठहराया गया है।

(आवेदक के लेटरहेड पर हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए)

परिशिष्ट-VI

शपथपत्र – अच्छा ज्ञान

मेसर्स _________ प्रसारण और वितरण उद्योग से अच्छी तरह वाकिफ हैं और नेटवर्क हेड-एंड सेटअप, ग्राहक और सिस्टम जीवनचक्र ज्ञान और एसएमएस और सीएएस में ग्राहक विवरण के एकीकरण को समझने में कुशल हैं।

(आवेदक के लेटरहेड पर हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए)

परिशिष्ट-VII- क

अखिल भारतीय पैनल के लिए या एक से अधिक क्षेत्रों/स्थानीय (विशेष) क्षेत्रों में पैनल में शामिल करने के लिए मूल्यांकन मानदंड

मापदंडों की निम्नलिखित सूची अखिल भारतीय पैनल या एक से अधिक क्षेत्रों में पैनल के लिए आवेदकों की शॉर्ट-लिस्टिंग के लिए प्रस्तावों की जांच और मूल्यांकन का आधार बनेगी:

क्र.सं	मानदंड	श्रेणी	अंक	अधिकतम अंक
1.	संचालन में वर्षों की संख्या	2 वर्ष तक	10	20
		2 - 4 वर्ष	15	
		4 वर्ष से ऊपर	20	
2.	पिछले दो वित्तीय वर्षों का औसत वार्षिक कारोबार	50 लाख - 1 करोड़ रुपये	10	20
		1 करोड़ से ऊपर – 2 करोड़ रुपये	15	
		2 करोड़ रुपये से ऊपर	20	
3.	वितरकों के एसएमएस/सीएएस (तकनीकी और/या सब्सक्रिप्शन) की लेखा परीक्षा में अनुभव	1 वर्ष	10	30
		1 - 2 वर्ष	15	
		2-3 वर्ष	25	
		3 वर्ष से अधिक	30	
	और / या			
	बिलिंग और मीटरिंग और/या भुगतान और प्रीपेड चार्जिंग सिस्टम के लेखा परीक्षा में अनुभव जिसमें सॉफ्टवेयर टूल्स और/या बैंकिंग आईटी सिस्टम का उपयोग शामिल है।	1 वर्ष	5	
		1 - 2 वर्ष	10	
		2-3 वर्ष	15	
		3 वर्ष से अधिक	20	
4	किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान में प्रशिक्षित पेशेवरों की संख्या	1 या अधिक	8	20

	जिन्हें डीएएस [एसएमएस/सीएएस] लेखा परीक्षा आयोजित करने का 3 वर्ष से अधिक का अनुभव है।			
	और / या			
	एसएमएस/सीएएस (तकनीकी और/या सदस्यता) ऑडिट में अनुभव रखने वाले पूर्णकालिक पेशेवरों की संख्या	1	12	
		2	16	
		3 या अधिक	20	
5.	बुनियादी ढांचा और सुविधाएं	दिल्ली (एनसीआर क्षेत्र सहित), मुंबई (ग्रेटर मुंबई, वसई, कल्याण सहित), चेन्नई, कोलकाता या किसी अन्य शहर में शाखा कार्यालय।	प्रत्येक शहर के लिए 2	10
कुल अंक				100

50 या अधिक[2] अंक प्राप्त करने वाले पात्र आवेदकों को पैनल में शामिल करने पर विचार किया जाएगा। पात्र आवेदकों को भादूविप्रा द्वारा सूचित दिनांक, समय और स्थान पर प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। इस तरह की प्रस्तुति का उद्देश्य आवेदकों को प्रस्तावों में अपने तकनीकी प्रस्ताव, दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली और अन्य प्रमुख बिंदुओं को प्रस्तुत करने की अनुमति देना होगा। भादूविप्रा के पास पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किसी भी कमियों/अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार सुरक्षित है।

इस संबंध में भादूविप्रा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और असफल आवेदकों के साथ आगे कोई चर्चा/बातचीत नहीं की जाएगी।

----

[2]भादूविप्रा के पास उपर्युक्त मानदंडों की समीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों को कवर करने के लिए पर्याप्त लेखापरीक्षा एजेंसियों को पैनल में रखा गया है।

परिशिष्ट-VII- ख

स्थानीय स्तर के पैनल के लिए मूल्यांकन मानदंड

मापदंडों की निम्नलिखित सूची स्थानीय स्तर में पैनल के लिए आवेदकों की शॉर्ट-लिस्टिंग के लिए प्रस्तावों की जांच और मूल्यांकन का आधार बनेगी:

क्र.सं	मानदंड	श्रेणी	अंक	अधिकतम अंक
1.	संचालन में वर्षों की संख्या	1-2 वर्ष	5	25
		2-3 वर्ष	10	
		3-4 वर्ष	15	
		4-5 वर्ष	20	
		5 वर्ष से अधिक	25	
2.	पिछले दो वित्तीय वर्षों का औसत वार्षिक कारोबार	रु. 5 - 15 लाख	5	25
		रु. 15 लाख से ऊपर - 25 लाख	10	
		रु. 25 लाख से ऊपर - 50 लाख	15	
		रु. 50 लाख से ऊपर - 75 लाख	20	
		75 लाख से अधिक	25	
3.	वितरकों के एसएमएस/सीएएस (तकनीकी और/या सब्सक्रिप्शन) की लेखा परीक्षा में अनुभव	1 वर्ष	5	20
		1 - 2 वर्ष	10	
		2-3 वर्ष	15	
		3 वर्ष से अधिक	20	
	और / या			
	बिलिंग और मीटरिंग और/या भुगतान और प्रीपेड चार्जिंग सिस्टम के लेखा परीक्षा में अनुभव जिसमें सॉफ्टवेयर टूल्स और/या बैंकिंग आईटी सिस्टम का उपयोग शामिल है।	1 वर्ष	2	
		1 - 2 वर्ष	5	
		2-3 वर्ष	7	
		3 वर्ष से अधिक	10	

4	किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान में प्रशिक्षित पेशेवरों की संख्या जिन्हें डीएएस [एसएमएस/सीएएस] लेखा परीक्षा आयोजित करने का 3 वर्ष से अधिक का अनुभव है।	1 या अधिक	4	10
	या			
	एसएमएस/सीएएस (तकनीकी और/या सदस्यता) ऑडिट में अनुभव रखने वाले पूर्णकालिक पेशेवरों की संख्या	1	6	
		2	8	
		3 या अधिक	10	
5.	बुनियादी ढांचा और सुविधाएं	दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या किसी अन्य शहर में शाखा कार्यालय	प्रत्येक शहर के लिए 2	10
		और / या		
		विशेष क्षेत्र में एक शहर में स्थित कार्यालय जिसके लिए आवेदक अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा है।	10	
कुल अंक				100

50 या अधिक[3] अंक प्राप्त करने वाले पात्र आवेदकों को पैनल में शामिल करने पर विचार किया जाएगा। पात्र आवेदकों को भादूविप्रा द्वारा सूचित दिनांक, समय और स्थान पर प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। इस तरह की प्रस्तुति का उद्देश्य आवेदकों को प्रस्तावों में अपने तकनीकी प्रस्ताव, दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली और अन्य प्रमुख बिंदुओं को प्रस्तुत करने की अनुमति देना होगा। भादूविप्रा के पास पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किसी भी कमियों/अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार सुरक्षित है।

इस संबंध में भादूविप्रा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और असफल आवेदकों के साथ आगे कोई चर्चा/बातचीत नहीं की जाएगी।

---

[3]भादूविप्रा के पास उपर्युक्त मानदंडों की समीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों को कवर करने के लिए पर्याप्त लेखापरीक्षा एजेंसियों को पैनल में रखा गया है।

परिशिष्ट-VIII

भादूविप्रा के कार्यालय का विवरण जहां प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता है

क्र.सं	पैनल में शामिल करने का स्तर	जोन/विशेष क्षेत्र का नाम	भादूविप्रा के उस अधिकारी का संपर्क विवरण जिसे हार्ड कॉपी में प्रस्ताव भेजने की आवश्यकता है
1.	अखिल भारतीय	अखिल भारतीय	श्री प्रवीण सक्सेना वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (बी एंड सीएस), भादूविप्रा, महानगर दूरसंचार भवन, जे.एल.एन. मार्ग (ओल्ड मिंटो रोड), नई दिल्ली - 110002 [ईमेल- interconnect-bcs@trai.gov.in]
2.	जोनल	उत्तर	श्री प्रवीण सक्सेना वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (बी एंड सीएस), भादूविप्रा, महानगर दूरसंचार भवन, जे.एल.एन. मार्ग (ओल्ड मिंटो रोड), नई दिल्ली - 110002 [ईमेल- interconnect-bcs@trai.gov.in]
3.	जोनल	केंद्रीय	सलाहकार, भादूविप्रा, क्षेत्रीय कार्यालय-भोपाल, दूरसंचार संग्रहालय भवन, अरेरा टेलीफोन एक्सचेंज के पास, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश - 462004 [ईमेल- adv.bhopal@trai.gov.in; traibhopal@gmail.com]
4.	जोनल	पश्चिम	सलाहकार, भादूविप्रा, क्षेत्रीय कार्यालय-जयपुर, साउथ ब्लॉक, एडमिन बिल्डिंग, झालाना डूंगरी, पहली मंजिल, जयपुर, राजस्थान - 302004 [ईमेल- adv.jaipur@trai.gov.in; traijaipur@gmail.com]

5.	जोनल	पूर्व	सलाहकार, भादूविप्रा, क्षेत्रीय कार्यालय-कोलकाता, भारत भवन, पहली मंजिल, 3-सी.आर. एवेन्यू, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700072 [ईमेल- adv.kolkata@trai.gov.in; traikolkata@gmail.com]
6.	जोनल	दक्षिण	सलाहकार, भादूविप्रा, क्षेत्रीय कार्यालय-बैंगलोर टेलीफोन हाउस, राजभवन रोड, बैंगलोर, कर्नाटक -560001 [ईमेल- adv.bengaluru@trai.gov.in; traibangalore@gmail.com]
7.	जोनल	दक्षिण-पश्चिम	सलाहकार, भादूविप्रा, क्षेत्रीय कार्यालय-हैदराबाद, आरटीटीसी बिल्डिंग, गछीबोवली, हैदराबाद, तेलंगाना - 500032 [ईमेल- advisortraihyd@gmail.com]
8.	स्थानीय	पूर्वोत्तर रेलवे	सलाहकार, भादूविप्रा, क्षेत्रीय कार्यालय-कोलकाता, भारत भवन, पहली मंजिल, 3-सी.आर. एवेन्यू, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700072 [ईमेल- adv.kolkata@trai.gov.in; traikolkata@gmail.com]
9.	स्थानीय	जम्मू और कश्मीर	श्री प्रवीण सक्सेना वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (बी एंड सीएस), भादूविप्रा, महानगर दूरसंचार भवन, जे.एल.एन. मार्ग (ओल्ड मिंटो रोड), नई दिल्ली - 110002 [ईमेल- interconnect-bcs@trai.gov.in]
10.	स्थानीय	लद्दाख	श्री प्रवीण सक्सेना वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (बी एंड सीएस), भादूविप्रा,

			महानगर दूरसंचार भवन, जे.एल.एन. मार्ग (ओल्ड मिंटो रोड), नई दिल्ली - 110002 [ईमेल- interconnect-bcs@trai.gov.in]
11.	स्थानीय	अंडमान और निकोबार	सलाहकार, भादूविप्रा, क्षेत्रीय कार्यालय-कोलकाता, भारत भवन, पहली मंजिल, 3-सी.आर. एवेन्यू, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700072 [ईमेल- adv.kolkata@trai.gov.in; traikolkata@gmail.com]
12.	स्थानीय	लक्षद्वीप	सलाहकार, भादूविप्रा, क्षेत्रीय कार्यालय-हैदराबाद, आरटीटीसी बिल्डिंग, गछीबोवली, हैदराबाद, तेलंगाना - 500032 [ईमेल- advisortraihyd@gmail.com]